2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

(पी)ठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
(प्रार्थ)ना पत्र अन्तर्गत धाराः- 251 क(1) आर.टी.ए.
(प्रक)रण संख्याः 405/2025

गुरदीप सिंह पुत्र श्री गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रार्थी

बनाम

देवीलाल पुत्र श्री भगवानाराम जाति नायक निवासी बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:अप्रार्थी

(उप)स्थित :-

1. श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री शमशेर सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी
3. राजपैरोकार

-::निर्णय::-

दिनांक 02.01.2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री खुशप्रीत सिंह द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर. (टी.)एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी का पंजीकृत व प्रमाणित पता प्रार्थना (पत्र) के शीर्षक में अंकितानुसार सही है।

यह कि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान के नाम चक 43 एसएसडब्लयू तहसील हनुमानगढ के (खा)ता संख्या 20/86, खाता अजायब सिह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के पत्थर नम्बर (69)/310 (9) किला नम्बर 14/.253, 16/1/.228, 16/2/.025, 17/.253, 24/.253, 25/1/.(2)28, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 69/311 (16) किला नम्बर 5/1/.190, 5/2/.038, 5/3/.025, (6/)1/.228, 6/2/.025, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 25/1/.228, (2)5/2/.025, पत्थर नम्बर 70/310 (8) किला नम्बर 20, 21/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर (70)/311 (17) किला नम्बर 1/1/.215, 1/2/.038, 10, 11, 20, 21/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, (पत्)थर नम्बर 70/312 (22) किला नम्बर 1/.253, पत्थर नम्बर 72/317 (50) किला नम्बर 14/.(2)53, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17, 24/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, (2)5/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 72/318 (53) किला नम्बर 4/.253, 5/1/.228, 5/2/.(0)25, 6/1/.228, 6/2/.025, 7/.253, पत्थर नम्बर 73/317 (51) किला नम्बर 9 से 12, 19 (से) 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 73/318 (52) किला नम्बर 1/.253 हैक्टेयर कुल 9.(1)14 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी के नाम 5/38 हिस्सा यानि 1.265 (हैक्)टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि अप्रार्थी देवीलाल के नाम चक 43 एसएसडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या (7)7/80, खाता देवीलाल, जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के पत्थर नम्बर 73/317 (51) किला (नम्)बर 2/1/.215, 2/2/.038, 7/.253 हैक्टेयर कुल .506 हैक्टेयर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में पत्थर नम्बर 72/317 (50) किला नम्बर 14/.(2)53, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025,17, 24/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, (2)5/1/.228, 25/2/.025, पत्थर नम्बर 72/318 (53) किला नम्बर 4/.253, 5/1/.228, 5/2/.(0)25, 6/1/.228, 6/2/.025, 7/.253, पत्थर नम्बर 73/317 (51) किला नम्बर 9 से 12, 19 (से) 23/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 73/318 (52) किला नम्बर 1/.253 हैक्टेयर आराजी में

3

हेतु प्रार्थी के पास कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने सुलभ रास्ता चक 43 एसएसडब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 73/317 (51) नम्बर 2/1/.013 यानि 01 बिस्वा (पूर्वी ओर, उतर से दक्षिण) रास्ता उपलब्ध हो सकता है जो ज पूर्व से चालू है तथा पत्थर नम्बर 73/317 (51) के किला नम्बर 1 से 5 में मौके पर चले रहे गैर मुमकिन रास्ता को ही मिलान करता हुआ है। उक्त रास्ता सबसे सुविधाजनक रास्ता है, इसी अनुसार प्रार्थी, अप्रार्थी की कृषि भूमि में विधि अनुसार अन्तर्गत 51क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ता मन्जूर करवाने के अधिकारी व दावेदार है। रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है।

यह कि जब प्रार्थी ने अप्रार्थी से उक्त कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृति करवाने का निवेदन किया इन्कार हो गया। यही वाद कारण है।

प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो उचित न्याय शुल्क पर रण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत है कि प्रार्थना पत्र की सख्या 4 के अनुसार चक 43 एसएसडब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 73/317 किला नम्बर 2/1/.013 यानि 01 बिस्वा (पूर्वी ओर, उतर से दक्षिण) रास्ता स्वीकृत कर रास्ते कन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मशेर सिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी हाजिर आकर जमीन के बदले जमीन दिलवाये पर सहमति का जवाब पेश कर निवेदन किया कि मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य स्वीकार है, इसी ार मुझ अप्रार्थी की आराजी चक 43 एसएसडब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 317 (51) किला नम्बर 2/1/.013 हैक्टेयर यानि 01 बिस्वा (पूर्वी ओर, उतर से दक्षिण) रास्ता ृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई ऐतराज नही है। अप्रार्थी रास्ता में आई भूमि के बदले प्रार्थी की आराजी चक 43 एसएसडब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ के र नम्बर 73/317 (51) किला नम्बर 9/0.007, 10/0.008 हैक्टेयर उतरी सीव के साथ किला र 2 में स्वीकृत किये गये रास्ते की 09 फुट भूमि को छोडते हुए प्राप्त कर ली है। याचित रास्ता पर चालू है। चक नम्बर 43 एसएसडब्ल्यू के संयुक्त खाता संख्या 20/86 में रास्ते में आई के एवज में प्रार्थी गुरदीप सिंह का 0.015 हैक्टेयर हिस्सा कम कर 0.015 हैक्टेयर मुझ ार्थी देवीलाल अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी धिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि श्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। जस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या से वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु म्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**

2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**

3 **नया मार्ग लघुतम रूट से हो।**

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व सहमति का अवलोकन व अध्ययन किया गया। ुताबिक जवाब के प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यांतिक ावश्यकता है।

लक्टर
ण्डाधिकारी
नुमानगढ

5

का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि त रास्ता है। याचित रास्ते द्वारा ही प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच सकता है। प्रार्थी में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (।) एवं कारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकटत्तम रास्ता चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुच हेतु सबसे नजदीक रास्ता नजरी नक्शा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(।) एवं राजस्थान काश्तकारी यम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक ही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अनुसार स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत जाते हैं कि:-

-:क्रियान्विति आदेश:-

तः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 43 ल्यू. तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 73/317 (51) किला नम्बर 2/1/.013 यानि ा (पूर्वी ओर, उतर से दक्षिण) रास्ता स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत किये गये रास्ते की चक 43 एसएसडब्ल्यू, तहसील हनुमानगढ के पत्थर नम्बर 73/317 (51) किला नम्बर 7, 10/0.008 हैक्टेयर उतरी सीव के साथ किला नम्बर 2 में स्वीकृत किये गये रास्ते की द रास्ता भूमि को छोडते हुए प्रार्थी की भूमि कम की जाकर अप्रार्थी देवीलाल को 0.015 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम य का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्दा का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ